भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4341
19 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों और शहरी मंडियों के बीच डिजिटल लिंक

4341. **श्री प्रवीन खंडेलवालः**

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने किसानों और एफपीओ को दिल्ली के खारी बावली और आज़ादपुर जैसी बड़ी शहरी मंडियों में कार्य करने वाले व्यापारियों के साथ सीधे डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस उद्देश्य के लिए कौन से प्लेटफॉर्म या पायलट परियोजनाएँ शुरू की गई हैं; और

(ग) पिछले दो वर्षों में ऐसे प्रयासों के माध्यम से कुल कितने किसान या एफपीओ जुड़े हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): कृषि विपणन राज्य का विषय है। कृषि उपज मंडी समितियों (एपीएमसी) को राज्य सरकारों के संबंधित राज्य कृषि उपज मंडी समिति अधिनियमों के तहत विनियमित किया जाता है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) के माध्यम से एपीएमसी को सुदृढ़ करने में सहयोग दिया है। राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) एक मांग आधारित योजना है। ई-नाम प्लेटफॉर्म के तहत मंडियों का एकीकरण (इंटीग्रेशन) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की मांग और तत्परता को ध्यान में रखते हुए उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर किया जा रहा है। एफपीओ को सदस्य किसानों से एकत्रित उपज का व्यापार करने में सक्षम बनाने के लिए ई-नाम में एक अलग खाद्य उत्पादक संगठन (एफपीओ) मॉड्यूल भी है।

दिनांक 30 जून, 2025 तक, दिल्ली की किसी भी एपीएमसी को ई-नाम के साथ एकीकृत करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग): विगत दो वर्षों (अप्रैल 2023 - मार्च 2025) के दौरान, 3,55,699 किसानों और 1,840 एफपीओ को ई-नाम प्लेटफॉर्म पर जोड़ा गया है।

*****